न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 09/25 (अपील)

GCMS No. : 2025/631

अनवान्

1. रामसिंह पिता स्व० कालुसिंह जी जाति राव, उम्र वयस्क, निवासी राव बस्ती बिलावास, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. रख्यावल, बाबत ना. सं. 1415 दि. 18.07.2025

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 27.11.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सहखातेदार कस्तुरकुंवर, टीपुकुंवर, चन्द्र कुंवर, भूरीबाई पुत्री कालुसिंह राव ने मौजा खाम की मादड़ी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 140 नया की आराजी नम्बर 843 रकबा 0.0405 हैक्टेयर आ.चाह में प्रत्येक के निहित 1/512 हक व हिस्से को, खाता संख्या 141 नया की आराजी नम्बर 829, 845, 846 कुल किता 3 फुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर में प्रत्येक के निहित 1/512 हक व हिस्से को तथा खाता संख्या 142 नया की आराजी नम्बर 831, 832, 848, 857, 858, 859 कुल किता 6 कुल रकबा 0.6962 हैक्टेयर में प्रत्येक के निहित 1/64 हक व हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख (Released Deed) के जरिए दिनांक 02.06.2025 को मुझ अपीलान्ट के पक्ष में हक त्याग कर दिया और उपरोक्त हक त्यागकर्तागण द्वारा त्याग की गई हिस्सा भूमि का मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट को मौके पर भौतिक एवं वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया जिससे तब से हकत्याग विलेख के जरिए प्राप्त हुए हक हिस्से पर हकत्याग कर्ता खातेदारान के बजाय मुझ अपीलान्ट (हक त्याग ग्रहिता) का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। मुझ अपीलान्ट ने उक्त पंजीकृत हक त्याग विलेख (रिलीज डीड) से प्राप्त हुए हिस्सा भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अमल दरामद कराने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर आवेदन किया तत्पश्चात् पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तैयार कर इस आशय की रिपोर्ट करते हुए ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया कि मुताबिक पंजीकृत हकत्याग लेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जाँच एवं आदेशानार्थ प्रस्तुत हैं। पटवारी द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट कर नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच ने बिना कोई टिप्पणी किये एवं बिना किसी आधार के उक्त नामान्तरकरण पर यह नोट लगाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर दिया कि "Rad Kiya jata h", जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच को बिना किसी ठोस कारण के एवं बिना किसी आधार के इस प्रकार से नामान्तरकरण को निरस्त करने अथवा रद्द करने का कोई कानुनन अधिकार प्राप्त नही था। मैं अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित व्यक्ति हूँ।

2. निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का कथित आदेश न्याय एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण को खारिज करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख (Released Deed) का अवलोकन किये बगैर ही मनमाने ढंग से अपीलाधीन नामान्तरकरण रद्द कर दिया। जबकि अपीलान्ट द्वारा जो रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख प्रस्तुत किया गया था वह पूर्ण रूप से विधि प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सहखातेदारों द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो किसी भी दृष्टि से न तो विवादित माना जा सकता है, न ही कोई नियम कायदा नामान्तरकरण को रद्द करने की इजाजत देता है फिर भी ग्राम पंचायत रख्यावल के सरपंच द्वारा सभी नियम कायदो को ताक में रख कर एवं बिना कोई जाँच पड़ताल किये मनमानी करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण को रद्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नही है, न ही अपना माईन्ड एपलाय किया है। अपीलाधीन [illegible] में पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख के आधार पर [illegible] में प्रस्तुत किया गया था जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिये एवं बिना कोई टिप्पणी किये मनमाने ढंग से अपीलाधीन नामान्तरकरण को रद्द कर दिया गया। जबकि ऐसे मामले में अधिनस्थ न्यायालय को इसका विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किये जाने के पश्चात् ही कोई आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय को बिना किसी कारण के एवं बिना किसी आधार के उक्त नामान्तरकरण रद्द करने का कोई विधिक अधिकार नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियम कायदो से परे जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को रद्द करने का विवादित आदेश पारित किया है, जिससे जैर बहस अदालत का आदेश अपास्त होने योग्य है।

3. बिनाय दिनांक 09.10.2025 को अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख (Released Deed) के आधार पर अपने खाते हुई जमीन की नकल लेने के लिए गया तो पटवारीजी ने बताया कि दिनांक 18.07.2025 को ही ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 13/10/25 को कथित नामान्तरकरण की ऑनलाइन नकल ली तो पता चला कि ग्राम पंचायत रख्यावल ने दिनांक 18.07.2025 को ही नामान्तरकरण खारिज कर दिया है। इससे पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी इस सम्बन्ध में नही रही थी। जिससे अपीलान्ट की ओर से जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है।

4. अंत में निवेदन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जेर बहस आदेश दिनांक 18.07.2025 अपास्त फरमाया जावें एवं अपील में वर्णित जेर बहस भूमि रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख (Released Deed) के आधार पर अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया की इस मामले में दिनांक 18.07.2025 को यह इन्तकाल रद्द हुआ है लेकिन मुझ अपीलान्ट को इसकी कोई जानकारी नही थी, न ही इसकी कोई सूचना दी गई थी। किन्तु दिनांक 09.10.2025 को मैं अपीलान्ट पटवारीजी के पास रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख (Released Deed) के आधार पर अपने खाते हुई जमीन की नकल लेने के लिए गया तो पटवारीजी ने मौखिक रूप से बताया कि दिनांक 18.07.2025 को ही ग्राम पंचायत ने इस नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जिस पर मुझ अपीलान्ट ने दिनांक 13/10/25 को कथित नामान्तरकरण की ऑनलाइन नकल ली तो पता चला कि ग्राम पंचायत रख्यावल ने दिनांक 18.07.2025 को ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण खारिज कर दिया है। इससे पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी इस सम्बन्ध में नही रही थी। नामान्तरकरण रद्द होने की जानकारी होने के बाद वांछित दस्तावेज प्राप्त कर अधिवक्ता से राय मशवरा लिया एवं अपील के खर्चे की व्यवस्था कर वकील मुकर्रर कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर मियाद है। चूँकि मैं अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ इसलिये मुझे इसकी कानूनी जानकारी नहीं हैं। कथित अपील प्रस्तुत करने में अपीलान्ट ने जानबुझ कर कोई देरी नही की है। देरी का माकूल कारण है। न्याय के लिए देरी के समय को कन्डोन कराया जाना आवश्यक हैं। अंत में निवेदन किया की अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 18.07.2025 से अपील प्रस्तुति तक की अवधि को कन्डोन फरमायी जावें। ताईद में अपीलान्ट का शपथ पत्र पेश है।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम के तथ्यों को दौहराते हुए अपील अपीलाण्ट एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। नामान्तरकरण सं. 1415 दिनांक 18.07.2025 को ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट् को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट् का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा पारीत नामान्तरकरण संख्या 1415 दिनांक 18.07.2025 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी पटवार हल्का [illegible] त्याग पत्र दिनांक 02.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

2025 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र सहखातेदार श्रीमती कस्तुकुंवर, चन्द्रकुंवर, टीपुकुंवर, भूरीबाई द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रख्यावल के समक्ष उक्त नामान्तरकरण प्रस्तुत होने के पश्चात खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह अंकित किया कि रद किया जाता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण खारिज करने का किसी प्रकार का कोई कारण अंकित नही किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त नामान्तरकरण यदि विवादित था तो अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार को स्थानान्तरण करना चाहिए था। यदि विवादित नही था तो किस कारण से नामान्तरकरण खारिज किया गया उसका विस्तृत उल्लेख अपने निर्णय में करना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण अंकित किए नामान्तरकरण खारिज कर विधिक भूल की है, जो कि न्यायोचित नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रख्यावल के नामान्तरकरण संख्या 1415 में दिनांक 18.07.2025 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार घासा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 02.06.2025 की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested